न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 71/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/464

1. जगदीश पुत्र राजाराम बिश्नोई निवासी मुकलावा तह. रायसिंहनगर
2. ओमप्रकाश पुत्र राजाराम बिश्नोई निवासी मुकलावा तह. रायसिंहनगर
3. भंवरलाल पुत्र राजाराम बिश्नोई निवासी मुकलावा तह. रायसिंहनगर

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार भू.अ. रायसिंहनगर
2. रामकिशन पुत्र राजाराम बिश्नोई निवासी मुकलावा तह. रायसिंहनगर
3. रामरतन पुत्र राजाराम बिश्नोई निवासी मुकलावा तह. रायसिंहनगर
4. इन्दुबाला पुत्री राजाराम, पत्नी नरेन्द्र कुमार बिश्नोई निवासी 16 टीके ढाणी तह. रायसिंहनगर

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :— रविन्द्र कलाना

1. श्री राकेश गोदारा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अनिल बिश्नोई, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2 से 3
3. राजपैरोकार, प्रत्यर्थी सं. 1
4. अनुपस्थित, प्रत्यर्थी सं. 4

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 27.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपील प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सतर्कता श्रीगंगानगर से क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर प्रकरण का निस्तारण किया जा रहा है।

2. अपीलार्थीगण के द्वारा यह अपील तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा रिमाण्ड ईन्तकाल प्र.सं. 11/2012 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2013 जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि चक मुकलावा बारानी के मु.नं. 21 प.नं. 157/307 की कुल 0.249है. भूमि का वसीयत के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 के नाम से रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश पारित किये गये है के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। प्रत्यर्थीगण सं. 2 से 3 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। प्रत्यर्थी सं. 4 अनुपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधित मूल अभिलेख तलब किया गया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

3. अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबध में पूर्व में विरास्तन नामान्तरण दर्ज कर दिया गया था। जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के विरूद्ध अपील पेश करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा विरास्तन नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए तहसीलदार

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

रायसिंहनगर को पक्षकारों को सुनते हुए प्रकरण का निस्तारण करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा आलौच्य आदेश के माध्यम से तथाकथित वसीयत के आधार पर अपीलाधीन भूमि प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 के नाम से रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश पारित किये गये। वसीयत कूटरचित एवं फर्जी है। वसीयत टाईपशुदा है जबकि उस पर गवाहान के नाम हाथ से लिखे गये है जो कि सम्भव है कि बाद में लिखे गये है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पारित आदेशों की पालना नहीं की अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिए और बिना नोटिस दिए ही एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। विवादित वसीयत की पालना हेतु मा. सिविल न्यायालय से आदेश प्राप्त करना जरूरी है। आलौच्य आदेश विधिसम्मत नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया अपनाए बिना पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2 से 3 ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निष्पादित वसीयत पंजीबद्ध दस्तावेज है जिसके संबंध में पूर्ण ज्ञान अपीलार्थीगण को प्रारम्भ से ही था। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के पिता का देहान्त दिनांक 24.11.2008 को हुआ। लेकिन अपीलार्थीगण द्वारा विरास्तन इंतकाल दिनांक 05.12.2011 को करवाया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया था, लेकिन उपस्थित नहीं होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति का अंकन है। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन अपील में अपीलार्थीगण उपस्थित थे, तथा प्रकरण के प्रतिप्रेषित किये जाने का ज्ञान अपीलार्थीगण को था, उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण को तहसीलदार के सक्षम उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है, अपील सारहीन होने के कारण अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गयी थी जिसके संबंध में अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश किया गया था। पूर्ववर्ती न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.09.2017 के द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अपीलाधीन भूमि राजाराम पुत्र रामचन्द्र कौम बिश्नोई के नाम से दर्ज थी जो कि राजाराम की मृत्यु हो जाने के पश्चात विरास्तन आधार पर अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी सं. 2 से 4 के नाम से इंतकाल सं. 339 के द्वारा दर्ज हुई। उक्त इन्तकाल सं. 339 सरपंच ग्राम पंचायत मुकलावा प. सं. रायसिंहनगर के द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त नामा. सं. 339 के विरूद्ध प्रत्यर्थी सं. 2 व 3 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष अपील सं.

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

14/2012 प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.09.2012 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत मुकलावा द्वारा पारित इन्तकाल सं. 339 निर्णय 05.12.2011 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया कि उप पंजीयक मुकलावा द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत दिनांक 12.07.2006 को तहरीर कराई है। पक्षकार को सुनते हुए तथा सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वसीयत के गवाहान को सुनकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें।

6. इस पर तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा रिमाण्ड इन्तकाल प्र.सं. 11/2012 रामकिशन बनाम औमप्रकाश पत्रावली कायम की और दिनांक 28.05.2013 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि "अपीलाण्ट ने मूल वसीयत, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, गवाहों के शपथ पत्र पेश किये। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार गलती से विरासतन ईन्तकाल दर्ज हो गया। भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद होना नहीं बताया। प्रकरण में रेस्पोडेंट औमप्रकाश, जगदीश, भंवरलाल, इन्दूबाला को तलब किया गया बावजूद तामील के कोई उपस्थित नहीं आया। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वसीयत के बाबत कोई आपत्ति नहीं हुई न ही अपील के अन्य पक्षकार उपस्थित हुयें। वसीयत राजाराम द्वारा रामकिशन व रामरतन के हक में 12.07.06 को तहरीर करवाकर पंजीबद्ध करावाई गई है। वसीयत पर कोई आपति न होने के कारण उक्त विवेचन के आधार पर वसीयत अनुसार रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।" उक्त निर्णय के आधार पर नामान्तरकरण सं. 388 स्वीकृत दिनांक 20.06.2013 दर्ज किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर को वसीयत के गवाहान को सुनकर निर्णय पारित करने एवं पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया था। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा वसीयत के गवाहान को सुना गया हो के संबंध में कोई अंकन आलौच्य आदेश में नहीं है। शपथ पत्र गवाहान भी अपीलार्थी को ओर से प्रस्तुत किये जाने का अंकन है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अपीलार्थी जगदीश, भंवरलाल, ओमप्रकाश व प्रत्यर्थी इन्दुबाला को प्रेषित नोटिस प्रत्यर्थी रामरत्न पर तामील हुए है ऐसी स्थिति में चूंकि दोनों पक्षों में विवाद है तथा अपीलार्थीगण का नोटिस प्रत्यर्थी पर तामील हुआ है इसलिए ऐसी तामील को विधिवत तामील नहीं माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में रिपोर्ट पटवारी का अंकन करते हुए अंकित किया है कि प्रकरण में विवाद नहीं है जबकि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने के कारण स्वतः ही विवाद की श्रेणी में था। ऐसे में यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आलौच्य आदेश पारित कर दिया गया है जो कि विधिवत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा पारित

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

निर्णय में दिए गए निर्देशों की पालना नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्र.सं. 11/2012 में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2013 व निर्णय के आधार पर दर्ज नामान्तरकरण सं. 388 स्वीकृत दिनांक 20.06.2013 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वसीयत के संबंध में आवश्यक जांच कर गवाहान को सुना जाकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर I.A.S
अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)